प्रतिवेदनीय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलेट क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 2024

(एस. एल. पी. (सी) संख्याएँ 9656-9657/2023 से उत्पन्न)

बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम्

हिमल कुमारी एवं अन्य इत्यादि .....प्रतिवादी(गण)

चयन और नियुक्ति-- भारत का संविधान-- अनुच्छेद 309---बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014---नियम 5,11---- बिहार राज्य में नगर प्रबंधकों के 152 पदों पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा जिसमें उत्तरदाता संख्या 1 ने भाग लिया लेकिन असफल घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने 32 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए---उत्तरदाता संख्या 1 ने लिखित परीक्षा में 70 में से 22.5 अंक प्राप्त किए और क्योंकि उसके पास कोई पूर्व कार्य अनुभव नहीं था, उसने 30 में से 0 अंक कार्य अनुभव के लिए प्राप्त किए। -- उत्तरदाता सं. 1 ने तर्क दिया कि विज्ञापन में उल्लिखित 32 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता केवल एक साधारण पाठ्य व्याख्या के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए है और उसने 70 में से 22.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 32 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंकों से अधिक है--रिट न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या - 1 के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए निर्णय दिया कि न्यूनतम योग्यता अंक केवल लिखित परीक्षा के संबंध में है और एक बार जब उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, वह

योग्यता सूची की तैयारी के लिए योग्य माने जाने का हकदार होगा - एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि खंड पीठ द्वारा की गई - अतः वर्तमान अपील।

अभिनिर्धारित किया गयाःआवश्यक न्यूनतम योग्यता अंकों का संबंध केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से है, जैसा कि नियम 2014 और विज्ञापन से भी स्पष्ट है, और इसकी योग्यता सूची की अंतिम तैयारी के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है-- नियम 2014 में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता अंकों के लिए मानदंड और विज्ञापन में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 32 प्रतिशत लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (70 अंक) है और अपीलकर्ताओं द्वारा व्याख्या किए गए 100 अंकों में से नहीं-- कार्यकारी आदेश दिनांक 16.07.2007 किसी भी तरह से 2014 के नियमों के संबंध में स्पष्ट या व्याख्यात्मक नहीं है-- आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की गई। अपील खारिज कर दी गई। **(पैरा 8,11,17,19,21)**

(2022) 11 एस. सी. सी. 392 **.....संदर्भित किया गया।**

प्रतिवेदनीय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलेट क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 2024

(एस. एल. पी. (सी) संख्याएँ 9656-9657/2023 से उत्पन्न)

बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम्

हिमल कुमारी एवं अन्य इत्यादि .....प्रतिवादी(गण)

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. विचाराधीन अपीलें दीवानी रिट क्षेत्राधिकारी वाद सं-7051/2020 से उत्पन्न एल.पी.ए. सं॰412 और 109/2021 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर 2022 (22 फरवरी 2023 को संशोधित) की वैधता को चुनौती देती है जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.10.2020 के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

3. यह मुद्दा शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार के तहत शहर प्रबंधक के पद पर चयन और नियुक्ति से संबंधित है। उक्त पद बिहार शहर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2014[1] द्वारा शासित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए थे।

4. वर्तमान मामले के लिए, नियमावली 2014 के नियम 5 और नियम 11 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैः

"नियम 5-भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति और भर्ती की प्रक्रियाः- (1) इस संवर्ग में इन पदों की मूल श्रेणी में नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा) द्वारा की जाएगी। सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे।

कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 10 अंक प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए और अनुबंध के आधार पर काम करने वाले नगर प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे।

लिखित परीक्षा के लिए विषयों का निर्धारण आयोग द्वारा विभाग परामर्श से किया जाएगा।

(ii) इन नियमों में कुछ भी शामिल नहीं है, जहां संवर्ग में कोई भी पद उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण खाली है या जहां किसी की छुट्टी के कारण कोई पद खाली है या अस्थायी आधार पर खाली है, काम के हित में उस पद को उपयुक्त योग्यता धारक व्यक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर भरा जा सकता है।

नियम 11-अवशिष्ट मामले। - उपयुक्त स्तर के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के नियम, विनियम और आदेश इस संवर्ग के सदस्यों के

लिए उन मामलों के संबंध में लागू होंगे जो विशेष रूप से इन नियमों या इन नियमों के तहत बनाए गए किसी भी विनियम में शामिल नहीं हैं। ”

5. अपीलकर्ताओं ने बिहार राज्य में नगर प्रबंधकों के 152 पदों पर नियुक्ति के लिए नियम, 2014 के तहत दिनांक 15.11.2016 को एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में रिक्तियों, पात्रता, मानदंड आदि और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी थी।

6. विज्ञापन में, ‘चयन-प्रक्रिया’ के उप-शीर्षक में कहा गया है,

> "आयोग योग्य उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद लिखित परीक्षा और अनुभव (अनुबंध पर शहर प्रबंधक के पद पर काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए) के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगा। सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 0.7 अंकों का होगा। 0.70 सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 0.70/4 अंक काटे जाएंगे।
>
> इसी तरह, कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए जाएंगे। सिटी मैनेजर के पद पर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 10 अंक और उनके अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। ”

7. 'योग्यता अंकों' का उपशीर्षक कहता है

"लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक इस प्रकार हैंः-

सामान्य वर्ग- 40%

पिछड़ा वर्ग- 36.5%

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग- 34%

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति- 32%

महिला- 32%

8. उक्त विज्ञापन के तहत, प्रतिवादी संख्या 1, जिनके पास कोई पूर्व कार्य अनुभव नहीं था, ने उक्त पद के लिए अपीलार्थियों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में 70 में से 22.575 अंक प्राप्त किए। अपीलकर्ताओं ने दिनांकित 27.12.2019 संचार के माध्यम से उसे असफल घोषित किया। प्रत्यर्थी सं॰1 को असफल घोषित करने का कारण था कि उसने 32 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में 22.5 अंक प्राप्त किए थे और क्योंकि उसके पास कोई पूर्व कार्य अनुभव नहीं था, उसने कार्य अनुभव के लिए 30 में से 0 अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर, उन्होंने 100 में से 22.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो न्यूनतम आवश्यकता 32 प्रतिशत से कम है। इस बीच, प्रत्यर्थी सं॰1 का तर्क है कि विज्ञापन में उल्लिखित 32 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता एक सरल पाठ्य व्याख्या के अनुसार केवल लिखित परीक्षा के लिए है। उन्होंने 70 में से 22.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 32 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंकों से अधिक है।

9. उसे बताए गए परिणाम से असंतुष्ट होकर, उसने दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं० 7051/2020 के रूप में पंजीकृत एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अपीलकर्ताओं से उसे परामर्श के लिए बुलाने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया क्योंकि वह विज्ञापन के अनुसार योग्य थी और उसने लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित योग्यता अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने आगे 27.12.2019 दिनांकित पत्र को रद्द करने और उन्हें नियुक्ति देने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी प्रार्थना की।

10. एकल न्यायाधीश ने 15.10.2020 दिनांकित निर्णय के माध्यम से रिट याचिका की अनुमति दी। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय का परिचालन भाग निम्नानुसार हैः

> "पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने और योग्यता अंकों वाले विज्ञापन पर विचार करने पर, न्यायालय का विचार है कि न्यूनतम योग्यता अंक केवल लिखित परीक्षा से संबंधित हैं और एक बार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवार योग्यता सूची तैयार करने के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को इस आधार पर विचार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा में योग्यता अंकों से अधिक योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहे। न केवल लिखित परीक्षा बल्कि सामान्य, बी. सी., ई. बी. सी., एस. सी./एस. टी. और महिला श्रेणियों में 40 प्रतिशत, 36.5%, 34 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 32 प्रतिशत कुल

100 अंकों के आधार पर, जिसमें लिखित परीक्षा के साथ-साथ अनुभव भी शामिल है। तदनुसार, लिखित परीक्षा में योग्यता अंकों के आधार पर सिटी मैनेजर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता और समान रूप से याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और योग्यता सूची तैयार करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। इस संबंध में पूरी कवायद प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। ”

11. फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने खंड पीठ के समक्ष एल. पी. ए. सं. 412/2021 दायर किया। कुछ उम्मीदवारों ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एल. पी. ए. संख्या 109/2021 को भी प्राथमिकता दी क्योंकि अनुभव और प्रतिवादी संख्या 1 से अधिक अंक होने के बावजूद वे उपरोक्त फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

12. अपीलार्थी आयोग 16.07.2007 दिनांकित एक कार्यकारी आदेश पर भरोसा कर रहा था, जिसमें कहा गया था

"विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों का समान निर्धारण निम्नलिखित प्रपत्र में संकल्प संख्या-15838 दिनांक 22.12.90 और 10258 दिनांक 05.08.91 द्वारा किया गया हैः-

सामान्य श्रेणी-40%

पिछड़ा वर्ग-36.5%

पिछड़ा वर्ग अनुलग्नक 1- 34%

एससी/एसटी और महिला वर्ग-32%

उपरोक्त प्रपत्र में न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/व्यक्तिपरक) पर समान रूप से लागू होगा। जहां भी लागू होगा, साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंकों से ऊपर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ”

13. खंडपीठ ने विशेष रूप से दिनांकित 16.07.2007 के कार्यकारी आदेश पर विचार किया और उक्त एल. पी. ए. को दर्ज किए गए कारणों के लिए खारिज कर दिया जो यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

"संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना। वर्तमान सूची में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आयोग ने नगर प्रबंधक पद के उद्देश्य के लिए मानदंडों में से एक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत जारी कार्यकारी आदेश दिनांक 16.07.2007 में निर्धारित मानदंडों पर ध्यान देने में त्रुटि की है या नहीं?प्रथम प्रतिवादी शहर प्रबंधक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार थी और वह असफल रही, इसलिए, उसने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी शिकायत यह है कि रिक्तियों की संख्या के साथ पठित योग्यता को ध्यान में रखते हुए वह शहर प्रबंधक के पद पर चयन और नियुक्ति की हकदार हैं और आगे प्रस्तुत किया कि यदि महिला आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) को ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभावी किया जाता है तो पहला प्रतिवादी हकदार है।

नगर प्रबंधक का पद नियम, 2014 द्वारा शासित है। नियम 11 के साथ पठित नियम 5 के अवलोकन में जहां तक मानदंड का प्रश्न है, दूसरे शब्दों में, नियमवली 2014 के नियम-5 और नियम 11 में जो भी प्रक्रिया निर्धारित है, उसके अतिरिक्त, दिनांक 16.07.2007 के किसी सरकारी आदेश को नहीं अपनाया गया है जो वर्तमान चयन और नियुक्ति प्रक्रिया और विभिन्न नियमों और सरकारी आदेशों की प्रयोज्यता से संबंधित है, जहाँ तक ऐसे व्यक्ति संवर्ग में प्रवेश करते हैं और यह चयन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। दूसरी ओर यदि नियमों के बाद कोई सरकारी आदेश है तो जो भी सरकारी आदेश और नियम है सिटी मैनेजर संवर्ग पद पर लागू होने योग्य है। नियम 11 को नियम 5 के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि शहर प्रबंधक के पद पर चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से अतिरिक्त मानदंडों को पढ़ा जा सके। मूल नियम में छेड़छाड़ किए बिना कार्यकारी आदेश के माध्यम से किसी भी भौतिक जानकारी द्वारा प्रतिस्थापन जारी किया जा सकता है, हालांकि वर्तमान में, मामले में कार्यकारी आदेश दिनांकित 16.07.2007 हैं दूसरी ओर नियम वर्ष 2014 के हैं, नियम, 2014 के लिए दिनांकित 16.07.2007 सरकारी आदेश का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है।

इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। ……”

14. विवादित निर्णय और दिनांक 20.12.2022 (23.02.2023 पर संशोधित) के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

15. प्रस्तुत किए गए सभी अभिलेखों और तर्कों की पूरी तरह से जांच करने पर, हम पाते हैं कि विवादित निर्णय उचित और सही है। निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ ने विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित फैसले की सही पुष्टि की है।

16. विज्ञापन के साथ विशेष रूप से नियम 5 और 11 में नियम, 2014 का एक संयुक्त अध्ययन और इसे एक व्यावहारिक और सामंजस्यपूर्ण संरचना देते हुए, जो सामने आता है वह यह है कि लिखित परीक्षा में 32 प्रतिशत एक उम्मीदवार को विचार क्षेत्र में रखे जाने के लिए योग्य और अहर्ता प्राप्त बनाएगा। हालांकि, अनुभव के आधार पर प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए योग्यता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार, प्रतिवादी सं० 1 (एक) के समान एक उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 32 प्रतिशत अंक (70 में से 22.5 अंक) प्राप्त करने के बावजूद कोई अनुभव नहीं होने पर भी नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसने तीन साल के अनुभव के साथ लिखित में 32 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उसने 100 में से कुल 52.5 अंक प्राप्त किए होंगे। ऐसा उम्मीदवार योग्यता सूची में बहुत ऊपर खड़ा होगा। लिखित परीक्षा में केवल 32 प्रतिशत अंक (70 में से 22.5 अंक) प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, योग्यता सूची में लगभग सबसे नीचे होगा, लेकिन फिर भी वह योग्य और अहर्ता प्राप्त होगी, बशर्ते योग्यता सूची 100 में से 22.5 अंक

जितनी कम हो। एक अन्य उदाहरण का उल्लेख किया जा सकता है जहां एक उम्मीदवार के पास तीन साल का अनुभव (30 अंक) है, लेकिन लिखित परीक्षा में 70 में से केवल सात अंक (लिखित परीक्षा में 10 प्रतिशत अंक) प्राप्त करता है, भले ही प्राप्त कुल 37 अंक होंगे, लेकिन वह लिखित परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंकों के रूप में माने जाने के लिए योग्य या अहर्ता प्राप्त नहीं होगा, यानी उक्त उम्मीदवार द्वारा 32 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया गया है।

17. आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंकों का संबंध केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से है, जैसा कि 2014 की नियमवली और विज्ञापन से भी स्पष्ट है, और योग्यता सूची की अंतिम तैयारी के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रत्यर्थी सं० 1 को योग्यता सूची में शामिल न करके अपीलार्थियों का आचरण उक्त विज्ञापन के अनुरूप नहीं है।

18. योग्यता सूची 2024 की नियमावली के नियम-11 के साथ पठित नियम 5 के संदर्भ में तैयार की गई थी, जिसे निर्णय की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया है। नियम 5 और 11 भर्ती, नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया और अवशिष्ट मामलों की प्रक्रिया से संबंधित हैं। ऐसे नियमों में कहीं भी कुल 100 अंकों में से किसी भी न्यूनतम योग्यता अंकों का उल्लेख नहीं है।

19. अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मूल नियम के साथ छेड़छाड़ किए बिना एक कार्यकारी आदेश का उपयोग करके नियम 2014 में संदेह और अस्पष्टताओं को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, कार्यकारी आदेश दिनांकित 16.07.2007 है जो 2014 के नियमों से बहुत पहले का है। इसलिए, 2007 का कार्यकारी आदेश 2014 के नियमों के संबंध में किसी भी तरह से

स्पष्टीकरणात्मक या व्याख्यात्मक नहीं है। खण्ड पीठ ने दिनांकित 16.07.2007 के कार्यकारी आदेश की प्रयोज्यता को सही ढंग से खारिज कर दिया। न्यूनतम योग्यता अंकों के लिए एकमात्र मानदंड 2014 की नियमावली और विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए 32 प्रतिशत लिखित परीक्षा (70 अंक) के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हैं और अपीलार्थियों द्वारा व्याख्या किए गए 100 अंकों में से नहीं।

20. अपीलार्थियों की ओर से **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** बनाम **भारत संघ एवं अन्य**[2] मामले में भरोसा करने का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई आवेदन नहीं है। उपरोक्त निर्णय में एक मुद्दा यह था कि क्या कार्यकारी निर्णय प्रबल होगा या वैधानिक विनियम। इस न्यायालय ने तय किए गए कानून पर भरोसा करते हुए कहा कि वैधानिक विनियम प्रबल होंगे। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी पहले के एक कार्यकारी निर्णय दिनांक 16.07.2007 की तुलना में नियम 2014 को प्राथमिकता दे रहा है। वास्तव में उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी सं० 1 को मद्द करते हैं।

21. प्रतिवादी सं० 1 ने 70 में से 22.5 अंक प्राप्त किए, विज्ञापन के अनुसार 32 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंकों से अधिक। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उसे योग्यता सूची में जगह देने से इनकार करना सही नहीं था। विवादित निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

22. तदनुसार, इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

.....न्यायमूर्ति

(विक्रम नाथ)

.....न्यायमूर्ति

(प्रसन्न भालचंद्र वराले)

नई दिल्ली

16 जुलाई, 2024

1. नियम, 2014

2. (2022) 11 एस सी सी 392

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।